

कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 57/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री महेन्द्र सिंह वर्मा कार्यालय खबर टुडे, सरदारगढिया तहसील भादरा  
जिला हनुमानगढ।(राज.)

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी मेला मजि. एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर।

—प्रत्यार्थी


आदेश

दिनांक:—31.10.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी मेला मजि. एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र दिनांक 07.8.2019 द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी मेला मजि. एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाने के कारण यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी मेला मजि. एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर से अपील में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी मेला मजि. एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 07.8.2019 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यदि सूचना कार्यालय में उपलब्ध है तो सूचना नियमानुसार दी जावे यदि सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो नहीं की सूचना दी जावे। अपीलार्थी को सूचना आदेश प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन में दी जावे। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

  
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी  
एवं जिला कलक्टर  
हनुमानगढ